

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

राजगढ़ जिला चूरु

खिलाल

बनान

सरकार

मुकदमा 136 एल0आर0 एक्ट

नम्बर मुकदमा III सन् 2020

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही विवरण	नम्बर व तारीख अहकाम की इस हुकम की तामील में जारी हुकम
12/21	<p>यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट का प्रार्थी <u>खिलाल मुस्ताक, शक्कर दुर्गाण गुलाम खूल जाति थोकी (मुस्लिम) निवासी साखू</u> तहसील राजगढ़ जिला चूरु में इस आशय का पेश किया कि कृषि भूमि खाता सं. 494 ख0नं0 638, 759, 764 <u>कुल लडाही 5.09 ई० रोही मॉजा साखू</u></p> <p>तहसील राजगढ़ जिला चूरु में अवस्थित है। उक्त कृषि भूमि में प्रार्थी का गलत नाम <u>रसूल बक्स</u> भूलवश राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज है जो लिपिकिय भूलवश दर्ज कर दिया गया है जबकि प्रार्थी के <u>पिता का नाम</u> जैसे प्रार्थी के मतदाता सूचि, आधार कार्ड, राशन कार्ड आदि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात में प्रार्थी का असल व रिकार्डेड नाम <u>गुलाम खूल</u> दर्ज है, का अवलोकन किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड व प्रार्थना पत्र का अवलोकन के बाद प्रार्थी के प्रार्थना पत्र की पुष्टि होनी पाई जाती है, अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि कृषि भूमि खाता सं. 494 ख0नं0 638, 759, 764 <u>कुल लडाही 5.09 ई० रोही मॉजा साखू</u></p> <p>तहसील राजगढ़ जिला चूरु के राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रार्थी का गलत नाम <u>रसूल बक्स</u> के स्थान पर सही नाम <u>गुलाम खूल</u> शुद्ध किया जावे। तदनुसार दुरुस्ती हेतु तहसीलदार, राजगढ़ को लिखा जाकर पालना करवाई जावे। बाकी इन्द्राजात यथावत रहेगे।</p> <p>मिसल फौसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।</p>	

उपखण्ड अधिकारी  
राजगढ़ (चूरु)